संख्या - 010/वीजीएल/080
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 30.11.2010

परिपत्र संख्या 38/11/10

विषय: अन्य कर्मचारियों के पासवर्ड का उपयोग करके बैंकों में धोखाधड़ी करना ।

आयोग द्वारा यह प्रेक्षित किया गया है कि कुछ मामलों में बैंक कर्मचारी अभी भी अपने पासवर्ड की गोपनीयता नहीं रख रहे हैं । आयोग के ध्यान में ऐसे उदाहरण अभी भी आ रहे हैं जहां कर्मचारियों के पासवर्ड का गलत उपयोग करके बड़ी राशि की धोखाधड़ी की जा रही हैं ।

2. आयोग पुन: दोहराना चाहता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारी अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखें तथा जहां तक संभव हो बारंबार उसे बदला भी जाए । बैंक इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली तथा प्रक्रिया विकसित करे ।

3. किसी पासवर्ड धारक द्वारा लापरवाही किए जाने के मामलों पर संबंधित बैंकों द्वारा कठोरतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये भारी धनराशि को जोखिम में डाल सकते हैं ।

4. मुख्य सतर्कता अधिकारी उचित कार्रवाई करें तथा पासवर्ड आदि की गोपनीयता का नियमित निरीक्षण करें तथा इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित करें ।

5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, आयोग को प्रस्तुत की जा रही मासिक रिपोर्ट में इस पहलू को शामिल करके इस मामले में अनुपालन की रिपोर्ट दें ।

ह0/-

(अनिल सिन्हा)
अपर सचिव

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी